प्राक्कथन

कोटा शहर सम्भागीय मुख्यालय है एवं राज्य का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है। यह राजस्थान के दक्षिण–पूर्व में राज्य की राजधानी जयपुर के दक्षिण में 240 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली–मुम्बई बड़ी रेलवे लाईन पर स्थित है। शहर की विद्यमान नगरीय समस्याओं के निराकरण के साथ–साथ एकीकृत एवं नियोजित विकास की आवश्यकता के दृष्टिगत कोटा के मास्टर प्लान का प्रारूप, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अर्न्तगत तैयार किया गया है। राजस्थान के शहरों व कस्बों के भावी विकास को नियोजित दिशा प्रदान करने के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत मास्टर प्लान अथवा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई जाती हैं। इस अधिनियम के अनुसार मास्टर प्लान तैयार करने हेतु विधिक प्रक्रिया को पूर्ण कर मास्टर प्लान अधिसूचित किए जाने पर ही इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्न्तगत् राज्य के जिस नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाया जाता है, उसको अधिसूचित करने, मास्टर प्लान बनाने तथा इसके लिए आवश्यक सिविक सर्वे करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को नियुक्त करने का प्रावधान है तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 में मास्टर प्लान की अर्न्तवस्तु एवं धारा 5 की उपधारा (1) के अर्न्तगत किसी भी मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिऐ जाने से पूर्व इसे बनाने के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मास्टर प्लान के प्रारूप को जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किए जाने का प्रावधान है। जिसके अनुसार मास्टर प्लान प्रारूप पर आपत्तियों एवं सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जाता है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3 की उप धारा (1) के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोटा मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र को अधिसूचना क्रमांक प.10(3)नविवि/3/80 पार्ट–1दिनांक 04/09/2013 द्वारा कुल 119 राजस्व ग्राम सम्मिलित कर (कोटा जिले में 108 राजस्व ग्राम एवं बून्दी जिले के 11 राजस्व ग्राम) सम्मिलित कर मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, जयपुर को मास्टर प्लान बनाने हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त 119 राजस्व ग्रामों में कोटा नगर निगम सीमा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम भी सम्मिलित है।

विभिन्न सिविक व भौतिक सर्वेक्षण उपरान्त तैयार किए गए इस प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले जन साधारण की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है, जिससे इस पर आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किए जा सके। आशा है कि शहर के प्रबुद्ध नागरिक प्रारूप मास्टर प्लान के अध्ययन के पश्चात् अपने बहुमूल्य सुझाव देंगें।

(श्रीमति इन्दिरा चौधरी)
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर

प्रस्तावना

कोटा शहर सम्भागीय मुख्यालय है एवं राज्य का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है। यह राजस्थान के दक्षिण–पूर्व में राज्य की राजधानी जयपुर के दक्षिण में 240 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली–मुम्बई बड़ी रेलवे लाईन पर स्थित है। कोटा, भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 470 व मुम्बई से 920 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अतिरिक्त कोटा–चित्तौड़–नीमच एवं कोटा–बीना बड़ी रेलवे लाईन से जुड़ा होने के कारण देश के सभी प्रमुख शहरों से इसका सीधा सम्पर्क है।

जयपुर–जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–27 पिण्डवाड़ा–कोटा–शिवपुरी शहर को दक्षिण राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं मध्यप्रदेश से सीधा सम्पर्क प्रदान करते हैं। यहाँ पर सम्भाग स्तर एवं जिला स्तर के सभी महत्वपूर्ण कार्यालय स्थित है।

नगर के अनियंत्रित विकास ने अनेक नगरीय समस्याओं को जन्म दिया है, जिनमें अपर्याप्त आवासन,उत्तरोत्तर बढ़ता यातायात, अनियोजित वाणिज्यिक केन्द्रों का विकास तथा मूलभूत एवं सामुदायिक सुविधाओं का अभाव आदि प्रमुख हैं। नगरीय समस्याओं पर समय रहते नियंत्रण एवं भविष्य में नियोजित नगरीय विकास के साथ–साथ आम जनता को आवास हेतु बेहतर वातावरण उपलब्ध करा सकने वाली योजनाओं की आवश्यकता है, जो एक सुनिश्चित एवं समग्र विकास योजना द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मास्टर प्लान जो एक दीर्घकालीन योजना है, के द्वारा उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। कोटा मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र को नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 10(3)नविवि/3/80 पार्ट–1दिनांक 04/09/2013 द्वारा 119 राजस्व ग्राम सम्मिलित करते हुऐ अधिसूचित किया गया है एवं मास्टर प्लान बनाये जाने हेतु मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को अधिकृत किया गया है।

कोटा की जनसंख्या वर्ष 1901 में 33,657 थी जो बढ़कर सन् 1971 में 2,12,991, 1981 में 3,58,241, वर्ष 1991 में 5,37,371, वर्ष 2001 में 6,94,316 एवं वर्ष

2011 में 10,01,365 हो गयी। राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत दिनांक 27.12.2001 को अधिसूचना जारी कर मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर को कोटा का नया मास्टर प्लान तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया। कोटा के मास्टर प्लान हेतु 64 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी की गयी जिसके अन्तर्गत कुल 1,25,000 एकड़ भूमि नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल थी। कोटा मास्टर प्लान 2023 राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प10(3)नविवि/3/80 दिनांक 15.04.2005 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

विगत वर्षो में नगर विकास न्यास को बड़ी मात्रा में राजकीय भूमि हस्तान्तरित हुई है जिसके फलस्वरूप शहर के दक्षिण में लखावा एवं रानपुर क्षेत्र में नगर विकास न्यास द्वारा कई योजनायें विकसित की गई। शहर के पश्चिम में नान्ता व रामनगर क्षेत्र में भी नगर विकास न्यास द्वारा कई योजनायें विकसित की गयी। उक्त अवधि में समय समय पर राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान में नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन भी किये गये। राज्य सरकार द्वारा कोटा शहर में आई.आई.आई.टी. की स्थापना की घोषणा की गयी। कृषि महाविद्यालय स्थापना की भी घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गयी। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा की स्थापना की गयी। रानपुर क्षेत्र में रीको की योजना में कई अभियांत्रिकी एवं तकनीकी / व्यावसायिक महाविद्यालयों की स्थापना हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 के दक्षिण में बाईपास निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया जो कि अन्तिम चरण में है। नगर विकास न्यास द्वारा उत्तरी बाईपास का प्रस्ताव तैयार किया गया है जो कि बाराँ सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–27) को केशवरायपाटन मेगा हाईवे (1–ए) से जोड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में दरा अभयारण्य क्षेत्र की स्थापना की घोषणा भी की गयी है। नगर निगम सीमा क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है।

इस दौरान राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प10(3)नविवि/3/80 दिनांक 2/2/2010 द्वारा कोटा के नगरीय क्षेत्र में 30 राजस्व ग्राम, (कोटा जिले के 22 राजस्व ग्राम, बून्दी जिले के 8 राजस्व ग्राम) एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प10(3)नविवि/3/80 दिनांक 13.08.2010 द्वारा बून्दी जिले के 3 राजस्व ग्राम कोटा के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये गये। इस प्रकार कोटा मास्टर प्लान 2023 के नगरीय क्षेत्र में राजस्व ग्रामों की संख्या बढ़कर 97 हो गई। उपरोक्त के दृष्टिगत नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा कोटा मास्टर प्लान–2023 के पुनरावलोकन की आवश्यकता महसूस की गयी जिसके क्रम में उप शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 10(19)नविवि/3/12 दिनांक 02.11.2012 द्वारा कोटा शहर के मास्टर प्लान का सम्पूर्ण कार्य नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। इस दौरान राज्य सरकार ने धारा 7 (1) के अनुसरण के तहत् अधिसूचना क्रमांक प.10(3)नविवि/3/पार्ट –1 दिनांक 27.12.2001 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 02.02.10 एवं 13.08.2010 के द्वारा यथा अधिसूचित 'कोटा मास्टर प्लान, 2023 (पार्ट) के रूप में कैथून मास्टर प्लान, 2023 के नगरीय क्षैत्र' जिसमें कैथून, भीमपुरा, आरामपुरा, जलखेडा सम्मिलित हैं, के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान को अनुमोदित कर दिया है।

कोटा शहर की जनसंख्या वर्ष 2001 में 6,94,316 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 1001365 हो गई है एवं वर्ष 2001 से 2011 की वृद्धि दर 44.22 प्रतिशत रही है। कोटा शहर का नया मास्टर प्लान वर्ष 2031 तक के लिए बनाया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार के आदेश की अनुपालना में कोटा शहर का नया मास्टर प्लान तैयार किये जाने का कार्य नगर विकास न्यास कोटा द्वारा किया गया है , जिसके लिए भौतिक व अन्य सर्वेक्षण तथा मास्टर प्लान कार्य कन्सलटेंट फर्म आकार कन्सलटेंट्स, कोटा के माध्यम से करवाए गये हैं। शहर के अनियोजित विकास को नियंत्रित करते हुए शहर को नियोजित ढंग से आगे बढ़ाने हेतु दिशा निर्धारित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत यह मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

कोटा शहर की वर्ष 2031 में जनसंख्या लगभग 21 लाख अनुमानित की गयी है। आगामी दो दशकों में शहर की कुल वृद्धि दर लगभग 43.80 व 45.83 प्रतिशत अनुमानित की गयी है। कोटा शहर का कुल औसत नगर घनत्व 27 व्यक्ति प्रति एकड़ के अनुमान से वर्ष 2031 तक शहर के भावी नगरीय विकास हेतु लगभग

76,490 एकड़ नगरीयकरण योग्य भूमि की आवश्यकता होगी अर्थात् पूर्व मास्टर प्लान में प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के अतिरिक्त लगभग 38,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। शहर का अधिकांश भावी विकास शहर के पूर्व में रेलवे लाईन व बाईपास के मध्य, बाराँ सड़क के उत्तर में तथा शहर के पश्चिम में बून्दी सड़क के उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र में एवं दक्षिण दिशा में रावतभाटा सड़क व झालावाड़ सड़क के मध्य लखावा एवं रानपुर क्षेत्र में होने की सम्भावना है। उत्तर दिशा में चम्बल नदी के अवरोध के कारण कोटा शहर का विकास सीमित रहेगा। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों एवं उत्तरी बाईपास प्रस्ताव के दृष्टिगत पूर्व में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित 97 राजस्व ग्रामों के अतिरिक्त 22 राजस्व ग्राम नगरीय क्षेत्र सीमा में सम्मिलित किया जाना आवश्यक समझा गया, ताकि शहर की परिधि में अवांछनीय विकास पर नियंत्रण हो सके।

शहर की परिधि में अवांछनीय विस्तार पर नियंत्रण की दृष्टि से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। मास्टर प्लान–2031 के लिए कुल 119 राजस्व ग्रामों (जिसमें 108 राजस्व ग्राम कोटा जिले के व 11 राजस्व ग्राम बून्दी जिले के) को कोटा नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने के प्रस्ताव है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,98,000 एकड़ होगा।

कोटा का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के पश्चात् वर्ष 2011 तक हुए समस्त विकास कार्यो को ध्यान मे रखते हुए क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए नगर के मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसको राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5(1) के तहत आम जन से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस मास्टर प्लान से नगर की जनता की भावी आवश्यकताओं की जहाँ पूर्ति सम्भव होगी, वहीं मास्टर प्लान के उद्देश्य पूर्ण होने पर शहर को स्वच्छ एवं सुनियोजित विकास की दिशा प्रदान की जा सकेगी।

किसी भी नगर का विकास अन्ततः उसके नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। कोई भी योजना जो जनहित में बनाई जाती है, जनता के सक्रिय सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती है। अतः इस प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले जन साधारण से प्राप्त होने वाले आपत्ति एवं सुझावों का विस्तार से विश्लेषण एवं अध्ययन कर यथोचित सुझावों को समाहित किये जाने के पश्चात् ही अंतिम रूप दिया जाकर राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावेगा।

मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। इस विशेष कार्य में नगर विकास न्यास कोटा, नगर निगम कोटा के साथ–साथ विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथाः सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जल प्रदाय, शिक्षा, वन, कृषि उपज मण्डी इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थानों ने सतत् सहयोग प्रदान किया है।

कोटा के सुनियोजित विकास हेतु तैयार किए गए इस प्रारूप मास्टर प्लान के लिए आयोजित सभी विभागों की बैठक में सुझाव दिये गए एवं समय–समय पर कोटा के विशिष्ट जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों द्वारा अपना समय प्रदान किया गया मैं उन सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सहयोगकर्त्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही आशा है कि कोटा नगर के प्रबुद्ध नागरिक, मास्टर प्लान प्रारूप का अध्ययन कर अपने अमूल्य सुझाव प्रेषित करेंगे, जिससे कि उसे और भी अधिक व्यावहारिक एवं ग्राह्य बनाया जा सकेगा।

(प्रदीप कपूर)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व)
राजस्थान, जयपुर

योजना–दल

नगर नियोजन विभाग

1.	श्री प्रवीण जैन	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
2.	श्री एन.के. खरे	से.नि.मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर (दिनांक 30.09.2013 तक)
3.	श्री प्रदीप कपूर	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व)
4.	श्री संदीप दंडवते	वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा
5.	श्री विनय कुमार दलेला	वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा
6.	श्रीमति रूचि गुप्ता	सहायक नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा (दिनांक 30.09.2013 तक)
7.	श्री पद्मनाभन शर्मा	सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा (दिनांक 30.09.2013 तक)
8.	श्री विष्णु गुप्ता	सहायक नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा (दिनांक 30.09.2013 से दिनांक 28.02.2014 तक)
9.	श्री धनेश रूणवाल	सहायक नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा (दिनांक 28.02.2014 से)
10.	श्री जगदीश कलवार	सहायक नगर नियोजक (मास्टर प्लान) जयपुर
11.	श्री चैतन्य गौतम	सहायक अभियंता, कोटा जोन, कोटा
12.	श्री रतन बैरवा	वरिष्ठ लिपिक, (मास्टर प्लान प्रकोष्ठ) जयपुर
13.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	कनिष्ठ अभियंता, कोटा
14.	श्री गोपाल कृष्ण जैन	वरिष्ठ प्रारूपकार, कोटा
15.	श्री रामकिशन कुमावत	वरिष्ठ प्रारूपकार, कोटा
16.	श्री शिव प्रकाश नामा	वरिष्ठ निजी सहायक, कोटा
17.	श्री प्यारा सिंह	निजी सहायक, कोटा
18.	श्री गुलाब चन्द बैरवा	अन्वेषक ग्रेड–द्वितीय, कोटा

सलाहकार

आकार कन्सलटेन्ट्स, कोटा (राज0)

1.	श्री पीयूष कुमार गोयल	:	मुख्य सलाहकार एवं नगर नियोजक
2.	सुश्री श्वेता शर्मा	:	सलाहकार एवं प्रारूपकार
3.	श्री खुशहाल बावा	:	अभियान्त्रिकी सलाहकार
4.	श्री अनिल जैन	:	मुख्य सर्वेयर
5.	श्री शलभ शर्मा	:	सर्वेयर
6.	श्री विक्की नागर	:	कम्प्यूटर ऑपरेटर

विषय – सूची

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
	संदेश	i
	प्राक्कथन	ii
	प्रस्तावना	iii
	योजना दल	viii
	तालिका सूची	
1.0	**परिचय**	**1–7**
2.0	**विद्यमान विशेषताएँ**	**8–41**
2.1	भौतिक स्वरूप और जलवायु	
2.2	क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	
2.3	ऐतिहासिक	
2.4	जनांकिकी	
2.5	व्यावसायिक संरचना	
2.6	विद्यमान भू–उपयोग	
2.6 (1)	आवासीय	
2.6 (1) अ	आवासन	
2.6 (1) ब	कच्ची बस्तियां	
2.6 (2)	वाणिज्यिक	
2.6 (3)	औद्योगिक	
2.6 (4)	राजकीय	
2.6 (4) अ	सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय	
2.6 (4) ब	सरकारी आरक्षित	
2.6 (5)	आमोद–प्रमोद	
2.6 (5) अ	उद्यान एवं खुले स्थल	
2.6 (5) ब	स्टेडियम एवं खेल मैदान	

	2.6 (5) स	अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन	
	2.6 (5) द	मेले एवं पर्यटन सुविधायें	
	2.6 (6)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	
	2.6 (6) अ	शैक्षणिक	
	2.6 (6) ब	चिकित्सा	
	2.6 (6) स	सामाजिक/सांस्कृतिक	
	2.6 (6) द	धार्मिक, ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल	
	2.6 (6) य	अन्य सामुदायिक सुविधायें	
	2.6 (6) र	जनोपयोगी सुविधायें	
	2.6 (6)–र (i)	जलापूर्ति	
	2.6 (6)–र (ii)	जल–मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन	
	2.6 (6)–र (iii)	विद्युत आपूर्ति	
	2.6 (6)–र (iv)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	
	2.6 (7)	परिसंचरण	
	2.6 (7) अ	यातायात व्यवस्था	
	2.6 (7) ब	बस तथा ट्रक टर्मिनल	
	2.6 (7) स	रेल एवं हवाई सेवा	
	2.7	गत मास्टर प्लान के प्रस्ताव एवं वर्तमान् विकास की समीक्षा	
3.0		**नियोजन की संकल्पना**	**42–50**
	3.1	नियोजन की नीतियाँ	
	3.2	नियोजन के सिद्धांत	
4.0		**भावी आकार**	**51–63**
	4.1	जनांकिकी	
	4.2	व्यावसायिक संरचरना	
	4.3	नगरीय क्षेत्र	

	4.4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	
	4.5	योजना क्षेत्र	
	(अ)	परकोटा नगर योजना क्षेत्र	
	(ब)	बूंदी सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र	
	(स)	बूंदी सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र	
	(द)	उम्मेद भवन योजना क्षेत्र	
	(य)	बाराँ सड़क उत्तरी योजना क्षेत्र	
	(र)	बाराँ सड़क दक्षिणी योजना क्षेत्र	
	(ल)	कन्सुआं (आद्योगिक) योजना क्षेत्र	
	(व)	दादाबाड़ी योजना क्षेत्र	
	(ह)	रंगबाडी योजना क्षेत्र	
	(ष)	रानपुर योजना क्षेत्र	
	(त्र)	परिधि नियंत्रण योजना क्षेत्र	
5.1		**भू–उपयोग योजना**	**64–112**
	5.1	आवासीय	
	5.1 (1)	आवासन	
	5.1 (2)	इन्फोरमल सेक्टर के लिये आवास	
	5.1 (3)	मिश्रित उपयोग	
	5.1 (4)	नगरीय नवीनीकरण/कच्ची बस्तियां	
5.2		वाणिज्यिक	
	5.2 (1)	शहरी केन्द्र	
	5.2 (2)	उप नगर केन्द्र	
	5.2 (3)	जिला केन्द्र	
	5.2 (4)	अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र	
	5.2 (5)	विशिष्ट एवं थोक व्यापार	
	5.2 (6)	भण्डारण एवं गोदाम	

5.3		औद्योगिक
5.4		राजकीय
	5.4 (1)	**सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय**
	5.4 (2)	सरकारी आरक्षित
5.5		आमोद–प्रमोद
	5.5 (1)	उद्यान एवं खुले स्थल
	5.5 (2)	स्टेडियम एवं खेल मैदान
	5.5 (3)	अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन
	5.5 (4)	मेले एवं पर्यटन सुविधायें
5.6		सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
	5.6 (1)	शैक्षणिक
	5.6 (2)	चिकित्सा
	5.6 (3)	सामाजिक/सांस्कृतिक
	5.6 (4)	धार्मिक स्थल/ऐतिहासिक
	5.6 (5)	अन्य सामुदायिक सुविधायें
	5.6 (6)	जनोपयोगी सुविधायें
	5.6 (6) अ	जलापूर्ति
	5.6 (6) ब	जल–मल निस्तारण व्यवस्था
	5.6 (6) स	ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन
	5.6 (6) द	विद्युत आपूर्ति
	5.6 (7)	श्मशान एवं कब्रिस्तान
5.7		हाईवे डवलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र
5.8		विशेष क्षेत्र
5.9		परिसंचरण
	5.9 (1)	प्रस्तावित यातायात संरचना
	5.9 (1) अ	सड़कों का मार्गाधिकार

5.9 (1) ब	सड़कों का चौडा करना एवं उनका सुधार	
5.9 (1) स	चौराहों का सुधार	
5.9 (1) द	पार्किंग व्यवस्था	
5.9 (2)	बस तथा ट्रक टर्मिनल	
5.9 (3)	रेल एवं हवाई सेवा	
5.10	परिधि नियंत्रण पट्टी	
5.10 (1)	ग्रामीण आबादी क्षेत्र	
5.11	विशेष नगरीय विस्तार केन्द्र	
5.11 (1)	रानपुर सैटेलाइट सेन्टर	
5.11 (2)	शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर	
5.12	बाढ़ नियंत्रण	
5.13	क्षेत्रीय विकास	
6.0	**योजना का क्रियान्वयन**	**113–117**
6.1	वर्तमान आधार	
6.2	प्रस्तावित आधार	
6.3	जन सहभागिता एवं जन सहयोग	
6.4	भू–उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति	
6.5	विस्तृत योजना हेतु अतिरिक्त बिन्दु	
6.6	उपसंहार	
6.7	योजना का क्रियान्वयन	
परिशिष्ट :– 1– अ	राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण	
1– ब	राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण	
2	राजकीय अधिसूचना दि. 27/12/2001	
3	राजकीय अधिसूचना दि. 15/04/2005	
4	राजकीय अधिसूचना दि. 16/05/2013	
5	राजकीय अधिसूचना दि. 04/09/2013	
6	राजकीय अधिसूचना दि. 04/08/2014	

तालिका – सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति–कोटा–1901–2011	12
2.	व्यावसायिक संरचना–कोटा–2001–2012	13
3.	विद्यमान भू–उपयोग–कोटा–2012	14
4.	कृषि उपजमण्डी में कृषि उत्पादों की आवक	17
5.	विद्यमान औद्योगिक इकाईयां एवं कर्मचारियों की संख्या–2012	19
6.	औद्योगिक गतिविधियों का विवरण–कोटा–2012	20
7.	सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय –कोटा–2012	21
8.	शैक्षणिक संरचना कोटा–2012	25
9.	विद्यमान चिकित्सा सुविधायें –कोटा–2012	27
10.	जलापूर्ति कनेक्शन–कोटा–2012	30
11.	विद्युत कनेक्शन एवं उपभोग–कोटा–2012	33
12.	भू–उपयोग समीक्षा, कोटा – 2001, 2012, 2023	41
13.	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति–कोटा–1901–2031	52
14.	व्यावसायिक संरचना–कोटा–2031	53
15.	योजना क्षेत्र–कोटा–2031	55
16.	प्रस्तावित भू–उपयोग–कोटा–2031	65
17.	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण–कोटा–2031	69
18.	प्रस्तावित जिला केन्द्र–कोटा–2031	72
19.	प्रस्तावित विशिष्ट एवं थोक व्यापार–कोटा–2031	74
20.	औद्योगिक गतिविधियों का विवरण कोटा–2031	76
21.	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र –कोटा–2031	78
22.	प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना–कोटा–2031	85
23.	सड़कों का मानक मार्गाधिकार–कोटा–2031	97
24.	विद्यमान एवं प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार कोटा–2031	98–100
25.	प्रस्तावित भू–उपयोग–रानपुर ग्रोथ सेन्टर –2031	109
26.	प्रस्तावित भू–उपयोग–शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर –2031	110–111